| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील संख्या 23/2025<br>बउनवान स्व. तिलोकाराम का.मु. मीरो देवी वगैरह बनाम सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21.07.2025 | **न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर**<br>पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.<br>**<u>आदेश</u>**<br>दिनांक 21.07.2025<br>उपस्थिति<br>1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री कैलाशकुमार<br>2. रेस्पोडेंटस की तरफ से राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।<br><br>अपीलांट के अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण द्वारा अपनी समरी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ग्राम दवाड़ा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर के समरी खसरा नं. 90 अलमशहुर छः वाला रक़बा 86.05 बीघा व खसरा संख्या 96 खेत अलमशहुर गोगेरी खेजड़ी वाला रकबा 115 बीघा कुल रकबा 201.05 बीघा भूमि आई हुई है। जिसके समरी खसरा नं. 90 के वर्तमान खसरा नं. 443 रकबा 12.07 बीघा, खसरा नं. 477 रकबा 96.06 बीघा व समरी खसरा संख्या 96 के वर्तमान खसरा संख्या 156 रकबा 36.15 बीघां, खसरा संख्या 148 रकबा 55.17 बीघा कुल रकबा 201.05 बीघा मौजा दवाड़ा तहसील फतेहगढ पर काबिज हो गये। उपरोक्त खसरान में से अपीलाधीन आराजी खसरा संख्या 148 में से रकबा 55.17 बीघा को अपीलांटगण के वालिद की खातेदारी को बिना किसी आधार व कारण के काटकर बिला कब्जा सरकारी खाते में अंकित कर दिया। भू प्रबन्ध विभाग वालों ने दौराने पैमाईश मौके पर पैमाईश की थी और वक्त पैमाईश उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होते हुए भी गलत | |

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रूप से सिवायचक इन्द्राज कर दिया गया। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। संवत 2017 से चौसाला जमाबंदियों में अपीलांट के पूर्वज मुलाराम को सा. देह खातेदार का अंकन किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया है। सेटलमेंट कार्मिकों की गलती का खामिजा हमें भुगतना पड़ रहा है। रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी में रद्दोबदल करने तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर उतारू है यदि रेस्पोडेंटस अपने उदेश्य में सफल हो जाते हैं तो अपीलांट की अपील का उदेश्य समाप्त हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कोई हक नियत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिंदु रेस्पोडेंटस के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही तय होना है। मूल वाद के विचारण रहते अपीलाधीन आराजी का संरक्षण करना न्यायालय का दायित्व है। अपील पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात से प्रथम दृष्टया अपीलांट का अपीलाधीन आराजी पर कब्जा प्रमाणित होता है। तुलनात्मक रजिस्टर की प्रति भी अपीलांट द्वारा पेश की गई। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु अपीलांटगण के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, फतेहगढ द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 04/2025 बउनवान स्व. तिलोकाराम कायम मुकाम मीरोदेवी वगैरह बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 05.05.2025 को निरस्त किया जाकर रेस्पोडेंटस को पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक अपीलाधीन आराजी मौजा दवाड़ा पटवार हल्का मूलाना तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर के खसरा संख्या 148 में से रकबा 9.0365 हैक्टेयर (55.17 बीघा) भूमि के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तहरीर जारी हो। आदेश सरे इजलास दिनांक 21.07.2025 को सुनाया गया।

21/7/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर